न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/37

1. सुल्तान सिंह पुत्र रामसहाय,
2. मलखान सिंह पुत्र रामसहाय,
3. कैलाश पुत्र रामसहाय,
   समस्त जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम श्यालावास खुर्द, सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवतसिंह गुर्जर पुत्र श्री कानसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति तहसील बसवा, जिला दौसा।
3. तहसीलदार, तहसील बसवा, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 19.06.2015 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 25.06.1989 अनुवानी भगवतसिंह गुर्जर बनाम सुलतान वगै0 प्रकरण संख्या 50/2012 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री अशोक जोशी, वकील अपीलान्ट्स।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 10.09.2015 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.06.1989 को ग्राम श्यालावास खुर्द, तहसील बसवा के आराजी खसरा नम्बर 754 रकबा 0.24 है0 गै0मु0 रास्ते का आवंटन रामसहाय पुत्र श्री ग्यारसा, जाति बैरवा, निवासी श्यालावास खुर्द, तहसील बसवा, जिला दौसा को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था। रामसहाय पुत्र श्री ग्यारसा द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नम्बर 1 लगा0 3 के पिता रामसहाय पुत्र श्री ग्यारसा बैरवा निवासी श्यालावास खुर्द तहसील बसवा को दिनांक 25.06.1989 को किया गया आवंटन खारिज किया गया तथा तहसीलदार बसवा को निर्देशित किया गया कि उक्त विवादग्रस्त आराजी गै0मु0 रास्ते की भूमि पर जिस किसी व्यक्ति का वर्तमान में कब्जा हो उसे हटाया जाकर पालना से अवगत करवाये जाने हेतु अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2015 पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुल्तानसिंह पुत्र रामसहाय वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. वकील अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया किय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 19.06.2015 पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है। आराजी भूमि खसरा नं. 239 रकबा 19 बिस्वा, किस्म बारानी अपीलान्ट्स के स्व. पिता रामसहाय को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 25.06.1989 को आवंटन की गई। जिस पर दिनांक 08.09.1989 को आराजी भूमि खसरा नं. 239 पर कृषि कार्य हेतु मौके पर जाकर कब्जा हल्का पटवारी द्वारा दिया गया, जबकि भूमि सुपुर्दगीनामा तैयार किया, जिस पर बिना कोई गौर फरमाये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय गलत व मनमाने तरीके से पारित किया है। उक्त भूमि पर कब्जा दिनांक 08.09.1989 को देने के बाद से ही लगातार अपीलान्ट्स का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। और वर्तमान में भी फसल बो रखी है एवं भूमि अपीलान्ट्स के नाम खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। अपीलान्ट्स जो कि गरीब अनुसूचित जाति बैरवा समुदाय के है, जो कि भूमिहीन थे और भूमिहीन होने के कारण उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु सही तरीके से आवंटन की गई थी। भूमि की किस्म बारानी रही है, कभी–भी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि नहीं रही है। आवंटन कमेटी ने सही रूप से अपनी पारदर्शिता का पालन करते हुए निष्पक्ष रूप से आवंटन की गई भूमि पर लगातार अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवंटन पत्र पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांदीकुई, प्रधान पंचायत समिति बांदीकुई एवं सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक बांदीकुई, जिला जयपुर व हल्का पटवारी के हस्ताक्षर है। रेस्पोडेन्ट्स का कभी–भी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में कोई कब्जा–काश्त है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 जो कि चतुर–चालाक जाति गुर्जर वर्ग का है, जो भूमि खरीद–फरोख्त कर प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता है। जिसने बडी चालाकी एवं गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर दिया व तामिल कुनिन्दा से मिलकर गलत रूप से तामिल करवा ली और बिना अपीलान्ट्स की जानकारी में लाये अपने हक में निर्णय एकतरफा करवा लिया है। जिसमें अपीलान्ट्स को सुना जाना व मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना था।

अपीलान्ट्स की तामिल, तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को करवाई जानी बताई है, जबकि ग्राम सत्यनगर जो कि बैरवा ढाणी है एवं बैरवा ढाणी के करीबन 1000 घर की बस्ती है। तामिल में अपीलान्ट्स के मौजूद मिलना व लेने से मना करना बताया है एवं खुले मकान पर चस्पा करना बताया है। जिस पर साक्षी बतौर अशोक कुमार पुत्र रामखिलाडी चौधरी एवं मनभावन पुत्र श्री जयसिंह गुर्जर हाल निवासी बांदीकुई को बताया है जो जाति से गुर्जर है एवं भगवतसिंह गुर्जर के रिश्तेदार है एवं भगवतसिंह गुर्जर के साथ प्रोपर्टी डीलर का कार्य करते है। जिससे पूर्णतः साबित है कि एक साजिश के तहत गलत तरीका अपनाकर उक्त निर्णय रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अपने हक में करवा लिया है जबकि सुल्तानसिंह दिल्ली में रहता है एवं मलखानसिंह रेल्वे विभाग में नौकरी करता है और रेल्वे कॉलोनी बांदीकुई में क्वार्टर नं. एल–241 में रहता है। अपीलान्ट्स के पिता ने अपनी मेहनत एवं भूमि पर काफी पैसा लगाकर समतल करवाई और भूमि कृषि योग्य बनाई जो वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। भूमि का सही व निष्पक्ष तरीके से आवंटन अपीलान्ट के पिता के नाम भूमि हीन होने पर किया गया है जिसे सही ठहराते हुए गलत तरीके से निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राज्य सरकार द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध कोई 14 (4) की कार्यवाही नहीं की है, न ही कोई पटवारी की रिपोर्ट दर्ज की। यदि भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा न होकर रेस्पोडेन्ट का होता तो जबरन राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जाती। अपीलान्ट को हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 03.09.2015 को बताया गया कि आपकी भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया है। जिस पर दिनांक 04.09.2015 को अधीनस्थ न्यायालय जाकर पता किया व नकल दरख्वास्त प्रस्तुत की जो दिनांक 07.09.2015 को नकल प्राप्त हुई। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 19.06.2015 जो प्रार्थना पत्र 14 (4) कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970 प्रकरण संख्या 50/2012 अनुवानी भगवतसिंह बनाम सुल्तानसिंह को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2015 यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित। वकील अपीलान्ट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 04.09.2015 को नकल हेतु आवेदन पेश करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हाल अपीलान्ट्स संख्या 01 लगा0 03 को दिनांक 03.01.2013 को नोटिस जारी किया गया है। तामिल कुलिन्दा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को करवायी गई तामिल रिपोर्ट अनुसार हाल अपीलान्ट्स घर पर मौजूद मिले लेकिन उनके द्वारा नोटिस की प्रति लेने से इनकार किया गया। जिसके उपरान्त नोटिस की चस्पानगी तामिल कुलिन्दा द्वारा उनके घर पर की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.01.2013 से लेकर निर्णय दिनांक 19.06.2015 तक बावजूद तामील अपीलान्ट्स अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रही है। इसलिये अपीलान्ट्स का यह कथन पोषणीय नहीं माना जा सकता है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.01.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा में अप्रार्थीगण (हाल अपीलान्ट) बावजूद तामील अनुपस्थित रहें हैं। यदि अपीलार्थी को उज्र था तो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में प्रभावी पैरवी/प्रतिरक्षण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। कोरम के अभाव में तथा भूमिधारक की बिना सहमति किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है। उपरोक्त के आलोक में अपील खारिज की जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।